प्रेस नोट दिनांक 08-07-2024 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए सुक्खा गैंग के चार अभियुक्तों को भारी मात्रा में सोने चाँदी के आभूषण कीमत करीब 07 लाख व नगदी कुल 15,000 रूपये सहित किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्त सचिन के विरुद्ध जनपद में पंजीकृत हैं आधा दर्जन से अधिक अभियोग।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 433/2024 धारा 306/317(2)/61 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तगण 1.सचिन पुत्र छोटेलाल 2.अर्नब पुत्र धर्मनारायण 3. राजकुमार पुत्र सोहनस्वरुप 4. सूजल पुत्र महेश दिनांक 08.07.2024 को रहना क्षेत्र मे पड़ने वाले खाली ग्राउंड के पास एक प्लाट से समय करीब 00.09 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद कालर पीली धातु डिजाइनदार, एक अदद अंगूठी जनानी डिजाइनदार पीली धातु, दो अदद झुमके डिजाइनदार पीली धातु, एक अदद अंगूठी छतरी वाली पीली धातु डुप्लीकेट, दो अदद झुमकी पीली धातु डुप्लीकेट, दो अदद अंगूठी पीली धातु डुप्लीकेट, 4 अदद खाली डिब्बा नेकलेस, 3 अदद खाली चेन के डिब्बे, 5 अदद अंगूठी के खाली डिब्बे, एक अदद आई फोन आसमानी रंग व नगदी 15,000 रुपये बरामद किए गये हैं। उपरोक्त अभियुक्तगण सुक्खा गैंग के नाम से गैंग चलाते हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सभी को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण--

अर्नव ने पूछताछ मे बताया कि मैने अपने मौसा के घर का सारा जेवरात सचिन भैया, शिवा भैया, रोहित भैया, प्रांजल भैया को कहने पर पैसो के लालच में चोरी किया था और इनको दे दिया था। ये लोग लगातार मुझे नशा कराते रहे और मुझसे घर से चोरियां कराते रहे। इन लोगो ने मुझे कुछ जेवरात शुरुआत मे बेचकर कुछ पैसे दिये थे जिनको इन्होंने ही मुझसे नशे में खर्च करवा दिया। कुछ दिन पहले मेरे मौसा को मुझ पर शक हो गया था तो मैं डर से घर से भाग गया था तब मैने सचिन भैया, शिवा भैया, रोहित भैया, प्रांजल भैया, राजकुमार व सूजल को सारी बात बतायी कि घर पर पता चल गया है तो इन लोगो ने मुझे नकली जेवरात जो हूबहू चुराये हुये जेवरातो से मिलते है, बनवाकर आज लाकर दिये है जिससे मै अपने घर जाकर वापस दे दूं और किसी का नाम न लूं। हम सभी लोग रोज शाम को अलग अलग जगह बैठकर दारू पीते है तथा ये सभी लोग सुक्खा गैंग के नाम से गैंग चलाते है जिसमें मुझे भी शामिल कर लिया है।

अन्य अभियुक्तगणो से घटना व बरामदगी के संबंध मे कड़ाई से पूछताछ की गयी तो सभी ने एक स्वर मे बताया कि हम लोगों प्रांजल, शिवा और रोहित जो जैन नगर के ही रहने वाले है, ने एक साथ मिलकर प्लान बनाया था क्योंकि हम लोगों पर कोई रोजगार नही है। अर्नव सूजल का दोस्त था जो हमारे पास बैठता उठता था। एक दिन यह अपने घर से एटीएम लेकर आया जिसमे इसी का नंबर पड़ा हुआ था जो इसी की बहन का एटीएम था उसका पिनकोड इसको पता था और पैसे निकालने का मैसेज भी इसी के फोन पर आता था। उस एटीएम से हम लोग रोजाना पैसे निकालकर खर्च करते रहे। तब एटीएम खाली होने पर अर्नव हमसे पैसे मांगने लगा तब हमने यह प्लान बनाया कि तू अपने घर से सोना चोरी कर ले उसे बेचकर तेरे एकाउंट में पैसे डाल देंगे। कुछ पैसे हमने डाले भी है लेकिन उसको दोबारा से अर्नव ने पैसे निकालकर खर्च कर दिये। फिर हमने दोबारा जेवरात चोरी की योजना बनाई और जेवरात बेचकर अपने शौक मौज में पैसे खर्च कर दिये है। जो पैसे हमसे बरामद हुए है वह पैसे उन्ही जेवरातों को बेचकर बचे पैसों मे से है।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1.सचिन पुत्र छोटेलाल निवसी जैन नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

2.अर्नब पुत्र धर्म नारायण निवासी हीरनगांव थाना टुण्डला जनपद फिरोजाबाद।

3. राजकुमार पुत्र सोहनस्वरुप निवासी न्यूरामगढ़ थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

4. सूजल पुत्र महेश निवासी जैन नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 433/2024 धारा 306/317(2)/61 बी0एन0एस0 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सचिन-

1. मु0अ0सं0 97/2021 धारा 147/148/149/307/323/341 भादवि थाना उत्तर फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 165/2023 धारा 147/323/506 भादवि व 3(1) द, ध एससी /एसटी एक्ट थाना उत्तर फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 448/2023 धारा 323/506 भादवि थाना उत्तर फिरोजाबाद।
4. मु0अ0सं0 206/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
5. मु0अ0सं0 315/2022 धारा 147/148/323 भादवि थाना उत्तर फिरोजाबाद।
6. मु0अ0सं0 567/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना उत्तर फिरोजाबाद।
7. मु0अ0सं0 433/2024 धारा 306/317(2)/61 बी0एन0एस0 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद़।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद कालर पीली धातु डिजाइनदार।
2. एक अदद अंगूठी जनानी डिजाइनदार पीली धातु।
3. दो अदद झुमके डिजाइनदार पीली धातु।
4. एक अदद अंगूठी छतरी वाली पीली धातु डुप्लीकेट।
5. दो अदद झुमकी पीली धातु डुप्लीकेट।
6. दो अदद अंगूठी पीली धातु डुप्लीकेट।
7. 4 अदद खाली डिब्बा नेकलेस।
8. 3 अदद खाली चेन के डिब्बे।
9. 5 अदद अंगूठी के खाली डिब्बे।
10. एक अदद आई फोन आसमानी रंग।
11. नगदी 15000 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष वैभव कुमार सिंह थाना उत्तर थाना फिरोजाबाद।
2. व0उ0नि0 महावीर सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 अर्जुन राठी चौ0प्र0 आगरा गेट थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
4. उ0नि0प्र स्वप्निल थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
5. है0का0 200 अशोक कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
6. है0का0 722 अजीत सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
7. का0 150 रवि कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
8. है0का0 807 नीलेश कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
9. है0का0 295 सत्यदेव थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
10. का0 743 सत्यवीर सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
11. का0 1480 अजय राना थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।